न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 15/2020

उनवान

1. श्री उदयलाल पिता स्व. रोडाजी डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री हीरालाल पिता स्व. रोडाजी डॉगी उम्र. बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

—वादीगण

विरूद्ध

1. श्री शंकर पिता स्व. देवा जगावत डाँगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्रीमती नाथी बेवा धुला डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्रीमती दूर्गा पुत्री स्व. धुला डॉगी उम्र बालिग एवं पति दलीचन्द डॉगी निवासी बॉसा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री नाथु पिता धुला डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमति लीलाबाई बेवा मोगा डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्री सवाईलाल पिता मोगा डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
7. भूमिधारी तहसीलदार सा. सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः—23—07—2024

उपस्थितिः श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता — वादीगण
श्री विरेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6।
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर — प्रतिवादी सं. 7।

प्रकरण मे उभयपक्ष को सुनने के पश्चात तनकीवार निर्णय करते हुए न्यायालय द्वारा वादीगण ने वाद को स्वीकार कर दिनांक 23—01—2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसकी पालना मे प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलुम्बर के पत्रांक 55 दिनांक 18.01.2024 से प्राप्त हुई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन वकील उभयपक्ष को करवाया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक डिक्र पर निम्न आपत्ति पेश कि—वाद में श्रीमान् तहसीलदार सलूम्बर ने जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो पालना रिपोर्ट काश्तकारों के हितो को देखते हुये एवं काश्त की दृष्टि से किसी भी तरह से उचित नही है। बल्कि काश्त किया जाना ही सम्भव नहीं है। श्रीमान् तहसीलदार साहब ने जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें छोटी छोटी हर आराजी को 3 तीन टुकडों में विभाजित कर दिया गया है। आराजी नम्बर 1302 का कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर है। आराजी नम्बर 1141, 1301, 822 व

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

Scanned with OKEN Scanner

823 का 0.04–0.04 हैक्टेयर रकबा है इसी तहर से आराजी नम्बर 1108, 1315, 1379, 830 का 0.06–0.06 हैक्टेयर का रकबा है एवं विवादग्रस्त आराजीयातमें 1/3 हिस्सा दोनो वादीगण का है। 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 शंकर का है एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 2, 3, 4, 5 व 6 का संयुक्त रूप से आता है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त पालना रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना किसी तरह से सम्भव नहीं है क्योंकि आराजी नम्बर 1302 जिसका कुल रकबा ही 0.01 हैक्टेयर है और यदि इसको तीन टुकडों में विभाजित किया जाता है तो दोनों वादीगण के हिस्से में 358 वर्गफीट भूमि आती है एवं एक वादी के हिस्से में 179 वर्गफीट भूमि आती है जो वादीगण के भी हित में नहीं है तथा प्रतिवादीगण नं. 2 से 6 तक के प्रत्येक के हिस्से में मात्र 71 वर्गफीट भूमि आती है। जिस भूमि पर काश्त करानी किसी भी तरह से सम्भव नहीं है। बल्कि ट्ररवेक्टर खडा नही भी नही रह सकता है। विवादग्रस्त कृषि भूमि काश्त भूमि है एवं उभय पक्षकारान का जीवन निर्वाह कृषि पर ही आधारित है। यदि ऐसी स्थिति उक्त पालना रिपोर्ट स्वीकार की जाती है तो उक्त विवादित कृषि भूमि छोटे–छोटे टुकडो में विभाजित हो जाने की वजह से इस भूमि पर काश्त किया जाना किसी भी तरह से सम्भव नही होगा जो गरीब काश्तकारों के साथ घोर अन्याय होगा। अतः प्रार्थना है कि विवाग्रस्त कृषि भूमि का प्रत्येक आराजी को छोटे छोटे टुकाडों में विभाजित नही की जाकर वर्तमान में काबिज अनुसार पूर्ण आराजीयात अनुसार बंटवाडा कर तहसीलदार सलूम्बर से पुनः रिपोर्ट मंगवाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रतिवादीगण की आपत्ति का वादीगण ने जवाब पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र की प्रारम्भिक डिक्री की पालना में श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब सलुम्बर द्वारा पांती बंटवाडा कर दिनांक 18–01–2024 को श्रीमान् के समक्ष पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण की आपत्ति लम्बे अन्तराल के बाद दिनांक 12–06–2024 कसे पुरे 5 पांच माह बाद पेश की जिसका वादीगण निम्न जवाब पेश कर रहे है – कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 एक स्वीकार है। श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब सलुम्बर ने बंटवाडा राज्य सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर के बंटवाडा के नियमों को ध्यान में रखकर किया गया है जो विधि सम्मत है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 दो पूर्णतया असत्य होने से स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त जो आराजी मुख्य रोड पर है उसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 एक का 1/3 हिस्सा, व प्रतिवादी नं. 2. 3. 4 एवं 5 का 1/3 हिस्सा को ध्यान में रखकर रोड साइट तीन बराबर बराबर हिस्से किये गये है उन खेतो के टुकडे हुए है एवं शेष भूमि पर जो पक्षकार काबिज थे वह भूमि उसी पक्ष के हिस्से में रखी गई है। प्रत्येक खेत के टुकडे नहीं किये। वादग्रस्त भूमि में निम्न पुरी आराजी दोनों वादीगण को बंटवाडा में दी गई है– आ.नं. 1303/0.13, 1302/0.01, 1341/0.04, 1354/0.08, 1335/ 0.10, 1387/0.13 कुल 6 खेत पुरे खाते किये है।प्रतिवादी नं. 1 एक के खाते किये है आ.नं. 1301/0.04, 1331/0. 17. 1376/0.05, 818/0.09, 1345/0.09 5 पांच खेत पुरे खाते किये है। प्रतिवादी नं. 2 दो से लगाकर 5 तक के खाते किये है आ.नं. 1365/0.17, 1105/0.07, 1108/0.06, 822/0.04, 823/0.04, 5 खेत पुरे खाते किये है। पक्षकारों के कब्जे के खेतो को पुरा का पुरा कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा किया है एवं शेष भूमि 8 आठ खेत आ.नं. 1379, 1322, 1324, 830, 1315, 1316, 1076, 1300 में सभी पक्षों को सडक बराबर मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए विधिवत बंटवाडा बिल्कुल सही एवं निष्पक्ष किया है, इसमें किसी प्रकार की परिवर्ततन करने की संभावना बिल्कुल नहीं है।

प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस मे कथन किया कि विवाग्रस्त कृषि भूमि का प्रत्येक आराजी को छोटे छोटे टुकाडों में विभाजित नही की जाकर वर्तमान में काबिज अनुसार पूर्ण आराजीयात अनुसार बंटवाडा कर तहसीलदार सलूम्बर से पुनः रिपोर्ट मंगवाने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे कथन किया कि तहसीलदार से प्रारम्भि डिक्री पालना रिपोर्ट दिनांक 18–01–2024 को श्रीमान् के समक्ष पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण की आपत्ति

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

Scanned with OKEN Scanner

उनवान–श्री उदयलाल बनाम श्री शंकर वाद अन्तर्गत धारा 53. 188 आर. टी. एक्ट.

लम्बे अन्तराल के बाद दिनांक 12–06–2024 करसे पुरे 5 पांच माह बाद पेश की जिसका वादीगण निम्न जवाब पेश कर रहे है – कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 एक स्वीकार है। श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब सलुम्बर ने बंटवाडा राज्य सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर के बंटवाडा के नियमों को ध्यान में रखकर किया गया है जो विधि सम्मत है। पक्षकारों के कब्जे के खेतो को पुरा का पुरा कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा किया है एवं शेष भूमि 8 आठ खेत आ.नं. 1379, 1322, 1324, 830, 1315, 1316, 1076, 1300 में सभी पक्षों को सडक बराबर मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए विधिवत बंटवाडा बिल्कुल सही एवं निष्पक्ष किया है, इसमें किसी प्रकार की परिवर्ततन करने की संभावना बिल्कुल नहीं है।

बहस पर मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार सलूम्बर से प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारों के कब्जे के खेतो को पुरा का पुरा कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा किया है एवं शेष भूमि 8 आठ खेत आ.नं. 1379, 1322, 1324, 830, 1315, 1316, 1076, 1300 में सभी पक्षों को सडक बराबर मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए विधिवत बंटवाडा राज्य सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर के बंटवाडा के नियमों को ध्यान में रखकर किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण की आपत्ति आधारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा ओरवाडीया पटवार हल्का ओरवाडीया भू.अ.नि. करावली, तहसील सलुम्बर की जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या 567 किता 25 रकबा 2.11 हैक्टेयर भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है–

1. खातेदार का नाम – श्री उदयलाल पुत्र रोडा हिस्सा 1/2, हीरालाल पुत्र रोडा के बाजय हेमराज पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/4, वरजु पत्नी स्व. हीरालाल हिस्सा 1/4

क्रम सं.	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	1303	0.13	कु.प्र.A	6.02
2	1302	0.01	कु.द्वि.	0.25
3	1335	0.10	कु.प्र.A	4.63
4	1887	0.13	तालाबी	0.77
5	1141	0.04	ह.प्र.ता.	0.47
6	1154	0.08	प.तृ. ता.	0.94
7	1300/1	0.03	कु.प्र.A	0.203
8	1324/1	0.0466	कु.द्वि.A	2.16
9	1322/1	0.04	कु.द्वि. A	1.296
10	1316/1	0.0333	कु.द्वि.	0.68
11	1379/2	0.0234	कु.प्र.A	1.39
12	830/1	0.02	खा.प्र.ता.	0.396
13	1315/1	0.02	कु.दि.	0.423
	किता–13	0.7033 हैक्टे.	–	19.628

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये:– श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस.

वाद संख्या–15/2020

उनवान–श्री उदयलाल बनाम श्री शंकर

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.

2. खातेदार का नाम – शंकरलाल पुत्र देवा हिस्सा पूर्ण

क्रम सं.	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	1301	0.04	कु.तृ.	0.74
2	1331	0.17	कु.प्र.A	6.68
3	1345	0.09	कु.प्र.A	4.17
4	1376	0.05	कु.प्र.A	2.32
5	1379/1	0.0366	कु.प्र.A	1.39
6	1315/2	0.02	कु.द्वि.	0.423
7	1316/2	0.0334	कु.द्वि.	0.68
8	1096/2	0.0366	तालाबी ह.प्र.ता.	0.38
9	830/3	0.02	खा.प्र.ता.	0.396
10	818	0.09	खा.प्र.ता.	1.78
11	1324/2	0.0468	कु.प्र. A	2.16
12	1322/2	0.04	कु.दि. A	1.296
13	1300/2	0.03	प.तृ. ता.	0.203
	किता–13	**0.7034 हैक्टे.**	–	**22.618**

3. खातेदार का नाम– नाथु पुत्र धुला हिस्सा 1/6, दुर्गा पुत्री धुला हिस्सा 1/6, नाथी पत्नी स्व. धुला हिस्सा 1/6, सवा पुत्र मेगा हिस्सा 1/4, लीलाबाई पत्नी स्व. मेगा हिस्सा 1/4

क्रम सं.	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	1339	0.10	कु.प्र.A	4.63
2	1365	0.17	कु.द्वि. A	5.19
3	1322/3	0.04	कु.द्वि. A	1.296
4	1324/3	0.466	कु.प्र.A	2.16
5	1105	0.07	ह.प्र.ता.	0.82
6	1108	0.06	ह.प्र.ता.	0.70
7	830/2	0.02	खा.प्र.ता.	0.396
8	822	0.04	खा.प्र.ता.	0.79
9	823	0.04	खा.द्वि.ता.	0.70
10	1315/3	0.02	कु.द्वि.	0.423
11	1316/3	0.033	कु.द्वि.	0.68
12	1096/1	0.033	तालबी ह.प्र.ता.	0.38
13	1300/3	0.03	प.तृ. ता.	0.203
	किता–13	**0.7033 हैक्टे.**	–	**18.368 रू.**

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये:– श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस.

वाद संख्या–15/2020

उनवान–श्री उदयलाल बनाम श्री शंकर

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। माफिक निर्णय अन्तिम डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23–07–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर, सलूम्बर
जिला सलूम्बर

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सलूम्बर

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2020.

उनवान

1. श्री उदयलाल पिता स्व. रोडाजी डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री हीरालाल पिता स्व. रोडाजी डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

–वादीगण

विरूद्ध

1. श्री शंकर पिता स्व. देवा जगावत डॉंगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्रीमती नाथी बेवा धुला डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्रीमती दूर्गा पुत्री स्व. धुला डॉगी उम्र बालिग एवं पति दलीचन्द डॉगी निवासी बॉसा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री नाथु पिता धुला डॉंगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमति लीलाबाई बेवा मोगा डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्री सवाईलाल पिता मोगा डॉगी उम्र बालिग निवासी ओडवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
7. भूमिधारी तहसीलदार सा. सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA

दिनांकः–23.07.2024

वादीपत्र अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री गोविन्दलाल डांगी एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार पटेल की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 23.07.2024 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा ओरवाडीया पटवार हल्का ओरवाडीया भू अ.नि. करावली, तहसील सलुम्बर की जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या 567 किता 25 रकबा 2.11 हैक्टेयर भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है–

Scanned with OKEN Scanner

1. खातेदार का नाम – श्री उदयलाल पुत्र रोडा हिस्सा 1/2, हीरालाल पुत्र रोडा के बाजय हेमराज पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/4, वरजु पत्नी स्व. हीरालाल हिस्सा 1/4

क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	1303	0.13	कु.प्र.A	6.02
2	1302	0.01	कु.द्वि.	0.25
3	1335	0.10	कु.प्र.A	4.63
4	1887	0.13	तालाबी	0.77
5	1141	0.04	ह.प्र.ता.	0.47
6	1154	0.08	प.तृ. ता.	0.94
7	1300/1	0:03	कु.प्र.A	0.203
8	1324/1	0.0466	कु.द्वि.A	2.16
9	1322/1	0.04	कु.द्वि. A	1.296
10	1316/1	0.0333	कु.द्वि.	0.68
11	1379/2	0.0234	कु.प्र.A	1.39
12	830/1	0.02	खा.प्र.ता.	0.396
13	1315/1	0.02	कु.दि.	0.423
	किता–13	**0.7033 हैक्टेयर**	–	**19.628**

2. खातेदार का नाम – शंकरलाल पुत्र देवा हिस्सा पूर्ण

क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	1301	0.04	कु.तृ.	0.74
2	1331	0.17	कु.प्र.A	6.68
3	1345	0.09	कु.प्र.A	4.17
4	1376	0.05	कु.प्र.A	2.32
5	1379/1	0.0366	कु.प्र.A	1.39
6	1315/2	0.02	कु.द्वि.	0.423
7	1316/2	0.0334	कु.द्वि.	0.68
8	1096/2	0.0366	तालाबी ह.प्र.ता.	0.38
9	830/3	0.02	खा.प्र.ता.	0.396
10	818	0.09	खा.प्र.ता.	1.78
11	1324/2	0.0468	कु.प्र. A	2.16
12	1322/2	0.04	कु.दि. A	1.296
13	1300/2	0.03	प.तृ. ता.	0.203
	किता–13	**0.7034 हैक्टेयर**	–	**22.618**

3. खातेदार का नाम– नाथु पुत्र धुला हिस्सा 1/6, दुर्गा पुत्री धुला हिस्सा 1/6, नाथी पत्नी स्व. धुला हिस्सा 1/6, रावा पुत्र गेगा हिस्सा 1/4, लीलाबाई पत्नी स्व.. गेगा हिस्सा 1/4

क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	1339	0.10	कु.प्र.A	4.63
2	1365	0.17	कु.द्वि. A	5.19
3	1322/3	0.04	कु.द्वि. A	1.296
4	1324/3	0.466	कु.प्र.A	2.16
5	1105	0,07	ह.प्र.ता.	0.82

Scanned with OKEN Scanner

6	1108	0.06	ह.प्र.ता.	0.70
7	830/2	0.02	खा.प्र.ता.	0.396
8	822	0.04	खा.प्र.ता.	0.79
9	823	0.04	खा.द्वि.ता.	0.70
10	1315/3	0.02	कु.द्वि.	0.423
11	1316/3	0.033	कु.द्वि.	0.68
12	1096/1	0.033	तालवी ह.प्र.ता.	0.38
13	1300/3	0.03	प.तृ. ता.	0.203
	किता–13	**0.7033 हैक्टेयर**	–	**18.368 रू.**

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 23–07–2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर
सहायक कलक्टर
सलूम्बर

वादे के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	00	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	00	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	06	–	योग	02	–

सहायक कलक्टर
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर